(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी—667—दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21.02.2005 के द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 144/अपील/02—03 .

.....

अकबर खाँ पुत्र सरबर खाँ निवासी
शाहजहांनाबाद भोपाल म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1. नारायण प्रसाद
2. देवीलाल
3. दुर्गाप्रसाद
   पुत्रगण राधेलाल
4. कमल सिंह
5. भैयालाल
6. भगवती
7. सीताराम

समस्त निवासीगण ग्राम बैरखेडी
तहसील बुदनी जिला—सीहोर म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है

::आदेश ::
(आज दिनांक 13/12/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.2.05 विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बेराखैडी की संशोधन पंजी वर्ष 1957 की प्रविष्टि के विरूद्व अपीलर्थी ने प्रथम अपील अ0 वि0 अ0 बुदनी के समक्ष इस आधार पर पेश की कि विवादित भूमि उसके पिता को मिलट्री की सेवा के परिणामस्वरुप प्राप्त हुई थी। इसलिए संहिता की धारा 168 के अन्तर्गत उक्त भूमि पर किसी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थना की कि उक्त भूमि पर अपीलर्थी का नामन्तरण किया है। जांच उपरान्त अ0वि0अ0 बुदनी के आदेश दिनांक 23.09.02 के द्वारा निरस्त की । अतः यह द्वितीय अपील पेश गई है। जो अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 21.2.05 द्वारा अपील आधारहीन होने से निरस्त की गई जिससे दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव द्वारा बहस में कहा कि ग्राम होलीपुरा में स्थित भूमि ख0 नं0 60 रकवा 29.01 एकड आवेदक के पिता को मिलिट्री सेवा में होने के कारण पट्टे पर प्राप्त हुई थी जिस पर उत्तरवादी का नामान्तरण शिकमी की हैसियत से करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी की है।

4–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी के तर्को पर मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पुष्टि होती है। कि अपीलार्थी ने अ0वि0अ0 बुदनी के समक्ष 11.08.59 को अर्थात संहिता के 2.10.59 को प्रवृती होने के पूर्व के आदेश के

विरुद्ध 42 वर्ष बाद अपील पेश की है और विलंब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में अ0 वि0 अ0 बुदनी में प्रथम अपील अवधि वाह्य मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की। और न ही इस न्यायालय में विधिक तर्क पेश किया है । जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके ।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल सभाग भोपाल का प्रकरण कमांक 144/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 21.2.05 विधि प्रावधानों से उचित है उसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने के कारण स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष
ग्वालियर